

प्रेषक,

सचिव,

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

गीता वर्मा द्वारा श्रीपति सिंह,
पता-गरौठा चौराहा निकट रेलवे क्रासिंग
आगे सोनालिका ट्रेक्टर एजेन्सी के सामने
ढिमलौनी, मऊरानीपुर, झांसी।

पत्रांक: मा०शि०च०बो० / चयन / 2082 / 2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय: अभ्यर्थन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान विषय के लिये भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ बी०एस०सी० प्रशिक्षण की अर्हता विहित की गयी है। आपने अपने आवेदन-पत्र में तथा साक्षात्कार के समय वनस्पति विज्ञान, जीवविज्ञान एवं रासायन विज्ञान अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि आप इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आवेदन किया था जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आपका अर्ह होना नहीं पाया गया है, अतएव आपका अभ्यर्थन/चयन निरस्त किया जाता है।

भवदीय

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

रजनी सिंह पुत्री श्री ओमप्रकाश,
म०सं०-1/298 मछली वाली गली,
हाथी खाना, फतेहगढ़,
जिला-फर्रुखाबाद।

पत्रांक: मा०शि०च०बो०/ चयन/ 2083 /2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय: अभ्यर्थन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान विषय के लिये भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ बी०एस०सी० प्रशिक्षण की अर्हता विहित की गयी है। आपने अपने आवेदन-पत्र में तथा साक्षात्कार के समय वनस्पति विज्ञान, जीवविज्ञान एवं रासायन विज्ञान अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि आप इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आवेदन किया था जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आपका अर्ह होना नहीं पाया गया है, अतएव आपका अभ्यर्थन/चयन निरस्त किया जाता है।

भवदीय

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,
उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

रितिका चौधरी,
द्वारा कुलदीप सिंह,
मो०-आर्यापुरी, टाउन व पोस्ट-बनत,
जिला-प्रबुद्धनगर।

पत्रांक: मा०शि०च०बो०/ चयन/ 2084 /2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय: अभ्यर्थन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि इण्टरमीडिएट एंजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान विषय के लिये भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ बी०एस०सी० प्रशिक्षण की अर्हता विहित की गयी है। आपने अपने आवेदन-पत्र में तथा साक्षात्कार के समय वनस्पति विज्ञान, जीवविज्ञान एवं रासायन विज्ञान अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि आप इण्टरमीडिएट एंजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आवेदन किया था जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आपका अर्ह होना नहीं पाया गया है, अतएव आपका अभ्यर्थन/चयन निरस्त किया जाता है।

भवदीय

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

विजय लक्ष्मी तिवारी

पुत्री श्री रामअनुज तिवारी,

म०सं०-110, इ-3, सेक्टर-एच, अलीगंज,
जिला-लखनऊ।

पत्रांक: मा०शि०च०बो०/ चयन/ 2085

/2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय:-अभ्यर्थन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान विषय के लिये भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ बी०एस०सी० प्रशिक्षण की अर्हता विहित की गयी है। आपने अपने आवेदन-पत्र में तथा साक्षात्कार के समय वनस्पति विज्ञान, जीवविज्ञान एवं रासायन विज्ञान अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि आप इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आवेदन किया था जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्त सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आपका अर्ह होना नहीं पाया गया है, अतएव आपका अभ्यर्थन/चयन निरस्त किया जाता है।

भवदीय

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

आराधना पुत्री श्री राम नरेश,
ग्राम-पूर्वा दानशाह, पोस्ट-शहर,
जिला-औरैया।

पत्रांक: मा०शि०च०बो०/ चयन/ 2086 /2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय:-अभ्यर्थन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान विषय के लिये भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ बी०एस०सी० प्रशिक्षण की अर्हता विहित की गयी है। आपने अपने आवेदन-पत्र में तथा साक्षात्कार के समय वनस्पति विज्ञान, जीवविज्ञान एवं रासायन विज्ञान अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि आप इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आवेदन किया था जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्त सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आपका अर्ह होना नहीं पाया गया है, अतएव आपका अभ्यर्थन/चयन निरस्त किया जाता है।

भवदीय

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

नीलम आर्या पुत्री श्री राम औतार,
म०सं०-०८, मो०-कंचनपुरी,
बेहजम रोड़, लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक: मा०शि०च०बो०/ चयन/ 2087 /2018-19 दिनांक 07.08. 2018

विषय:-अभ्यर्थन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान विषय के लिये भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ बी०एस०सी० प्रशिक्षण की अर्हता विहित की गयी है। आपने अपने आवेदन-पत्र में तथा साक्षात्कार के समय वनस्पति विज्ञान, जीवविज्ञान एवं रासायन विज्ञान अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि आप इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आवेदन किया था जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आपका अर्ह होना नहीं पाया गया है, अतएव आपका अभ्यर्थन/चयन निरस्त किया जाता है।

भवदीय

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

बीनू सिंह द्वारा श्री विजय सिंह आर्य,
पता-30/11 सिद्धार्थनगर, गोबर चौकी
ताजगंज, जिला-आगरा।

पत्रांक: मा०शि०च०बो०/ चयन/ 2088 /2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय:-अभ्यर्थन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान विषय के लिये भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ बी०एस०सी० प्रशिक्षण की अर्हता विहित की गयी है। आपने अपने आवेदन-पत्र में तथा साक्षात्कार के समय वनस्पति विज्ञान, जीवविज्ञान एवं रासायन विज्ञान अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि आप इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आवेदन किया था जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आपका अर्ह होना नहीं पाया गया है, अतएव आपका अभ्यर्थन/चयन निरस्त किया जाता है।

भवदीय

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,
उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

अर्पणा तिवारी,
पता-568 के०एच०ए०/371
गीतापाली (निकट एम०जी० ट्रेडर)
आलमबाग, लखनऊ।

पत्रांक: मा०शि०च०बो०/ चयन/ 2089 /2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय:-अभ्यर्थन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान विषय के लिये भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ बी०एस०सी० प्रशिक्षण की अर्हता विहित की गयी है। आपने अपने आवेदन-पत्र में तथा साक्षात्कार के समय वनस्पति विज्ञान, जीवविज्ञान एवं रसायन विज्ञान अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि आप इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आवेदन किया था जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तों सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आपका अर्ह होना नहीं पाया गया है, अतएव आपका अभ्यर्थन/चयन निरस्त किया जाता है।

भवदीय

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

रश्मि रानी पुत्री श्री रोहताश कुमार,
पता-51/1 गली नं०-6, शिवहरि मंदिर,
कालोनी, जिला-मेरठ।

पत्रांक: मा०शि०च०बो०/ चयन/

2090

/2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय: अभ्यर्थन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान विषय के लिये भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ बी०एस०सी० प्रशिक्षण की अर्हता विहित की गयी है। आपने अपने आवेदन-पत्र में तथा साक्षात्कार के समय वनस्पति विज्ञान, जीवविज्ञान एवं रासायन विज्ञान अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि आप इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 अध्याय-2 विनियम-01 परिशिष्ट 'क' में निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आवेदन किया था जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तों सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान पद हेतु आपका अर्ह होना नहीं पाया गया है, अतएव आपका अभ्यर्थन/चयन निरस्त किया जाता है।

भवदीय

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।